

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : ई-33/रेडियो./एम 117/2019/110

दिनांक : 2/5/19

आदेश

सुश्री अदिति शर्मा, नेत्र सहायक, सेटेलाईट चिकित्सालय बनीपार्क, जयपुर को दिनांक 18.5.2019 से 25.5.2019 तक विदेश फुकेट कराबी निजी यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों पर एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

1. कार्मिक विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवा कर प्रस्थान करेंगे तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जायेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगे।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।
6. किसी भी तरह की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे।

( मुकुल शर्मा )

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज. जयपुर

क्रमांक : ई-33/रेडियो./एम 117/2019/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. चिकित्सा अधीक्षक, सेटेलाईट चिकित्सालय, बनीपार्क, जयपुर।
- ✓ 2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को वास्ते अपलोड।
3. सुश्री अदिति शर्मा, नेत्र सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज. जयपुर